दूरभाष कार्यालय : 2208719
5-2-2005-14

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग – रायबरेली

पत्रांक 2921 / 14-4-4 रायबरेली, दिनांक 21 – 11 – 2008

सेवा में,

मंडल अभियन्ता,
दूर संचार परियोजना
क्वार्टर नं0 5, 6 व 7 बी0एस0एन0एल0 कालोनी
सेक्टर-2 विकास नगर, लखनऊ

विषय : जनपद रायबरेली में भारत संचार निगम लि0 द्वारा लखनऊ-प्रतापगढ़ मार्ग संख्या-36 के किमी0 43.00 से 82.20 तक कुल 39.20 किमी0 लम्बाई 0.45 मी0 चौड़ाई में आच्छादित क्षेत्रफल 1.764 हे0 सुरक्षित वन भूमि में ओ0एफ0सी0 बिछाने के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक-डी.ई.टी.पी./लखनऊ/लखनऊ-रायबरेली ओ0एफ0सी0 दिनांक 17-11-2008।

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र के क्रम में शासनादेश संख्या-2752/14-2-2-2008-800(98)/08 दिनांक 8-9-08 द्वारा यह कहने का निर्देश हुआ कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद रायबरेली में भारत संचार निगम लि0 द्वारा लखनऊ-प्रतापगढ़ मार्ग संख्या-36 के किमी0 43.00 से 82.20 तक कुल 39.20 किमी0 लम्बाई 0.45 मी0 चौड़ाई में आच्छादित क्षेत्रफल 1.764 हे0 संरक्षित वन भूमि में ओ0एफ0सी0 बिछाने के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 26-12-2007 में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत प्रदत्त सामान्य स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं -

1. सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2. केबल/टेलीफोन लाइन/पेय जल की पाइप लाइन मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे से बिछाया जायेगा।
3. सामान्य शर्तों के अनुसार केबल/टेलीफोन लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की गहराई 2.00 मी0 चौड़ाई एवं प्रस्तुत प्रस्ताव में [illegible] 0.45 मी0 से अधिक चौड़ी न हो।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पेक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में [illegible]
7. प्रयोक्ता विभाग द्वारा अनुरक्षण कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8. भूमि का सरफेस राइट्स(Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं [illegible]
9. कार्यदायी संस्था भारत संचार निगम लि0 द्वारा प्रदेश के राज्य मार्ग के किनारे 20 कि0मी0 लम्बाई में किसी एक जनपद में वृक्षारोपण हेतु धनराशि, इस कार्यालय को वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण शुल्क मद में रु0 3923250/- (रुपया उन्तालीस

Attested
[signature] 1/9/17

मण्डल अभियन्ता
Divisional Engineer
दूरसंचार परियोजना
Telecom. Projects
भारत संचार निगम लिमिटेड
BSNL, Meerut

32

लाख तेईस हजार दो सौ पच्चास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या- 574436 दिनांक 15/11/2008 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।

10. कार्यदायी संस्था कार्यस्थल पर एक छोटा अस्थाई बोर्ड लगाकर कार्य करेगी। जिस पर स्पष्ट रूप से कम्पनी का नाम एवं कार्य करने की अवधि का विवरण अंकित होगा तथा मौके पर कार्य करने की अनुमति की छायाप्रति भी कार्य स्थल पर चैकिंग हेतु हमेशा उपलब्ध रहेगी, जो कि मांगे जाने पर वह प्रस्तुत करेगा।

11. यदि कोई अवशेष धनराशि भविष्य में कम्पनी को जमा करने हेतु कहा जाता है तो कम्पनी तत्काल उस धनराशि को जमा करेगी।

अतः उक्त शर्तों का अनुपालन करते हुए कार्यदायी संस्था को कार्य करने की अनुमति दी जाती है, संस्था द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जायेगा।

भवदीय

(ललित कुमार वर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

पत्रांक ______ / उपरिलिखित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, वन उपयोग वृत्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्रांक-757/11-सी0-ओ0एफ0सी0 लखनऊ 4/11/2008 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0 प्र0 लखनऊ।

(ललित कुमार वर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

पत्रांक ______ / उपरिलिखित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, रायबरेली एवं लालगंज।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायबरेली एवं बछरावाँ।

Attested
[illegible] 1/9/17

मण्डलीय अभियन्ता
Divisional Engineer
दूरसंचार परियोजना
Telecom. Projects
भारत संचार निगम लिमिटेड
BSNL, Meerut

(ललित कुमार वर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रायबरेली

83

Phone/Fax : 0535-2208719
E-Mail : dfurbl[illegible]@yahoo.co.in

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग— रायबरेली

पत्रांक 2090 / [illegible] -4 रायबरेली, दिनांक 8-10-2013

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

विषय : भारत संचार निगम लि० द्वारा जनपद रायबरेली में [illegible] जा रहे भूमिगत आप्टिकल फाइबर बिछाये जाने हेतु भूमि हस्तान्तरण / [illegible] धनराशि [illegible] जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : इस कार्यालय के पत्र संख्या—153/22-1 दिनांक 09-9-2013, पत्रांक—1098/14-4-4 दिनांक 1[illegible]-3-2013 एवं पत्रांक—780/14-4-4 दिनांक [illegible]-8-2013।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक—9-240/11-17 दिनांक 26-7-2013 द्वारा भारत संचार निगम लि0 को निर्देशित किया गया था कि रायबरेली वन प्रभाग को [illegible] 37.462 ल[illegible] [illegible]। इसी क्रम में भारत संचार निगम लि0 द्वारा जनपद रायबरेली की अवशेष धनराशि रू0 37.[illegible] लाख अपने पत्रांक—डी.ई.टी.पी.—1/एल.डब्लू.—आर. बी.एल./प्रो.ए.सी./डी.ओ./2013-14 दिनांक 7-10-2013 द्वारा चेक संख्या—460910 दिनांक 30-9-2013 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। अब भारत संचार निगम लि0 द्वारा रायबरेली वन प्रभाग में कोई धनराशि जमा करने हेतु अवशेष नहीं है।

अतः आप अपने कार्यक्षेत्र में भारत संचार निगम [illegible] को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

भवदीय
(ओ0पी0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रायबरेली

पत्रांक 2090 / तदद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 [illegible] उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक / [illegible] उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।
4. [illegible] मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मण्डल अभियन्ता, टेलीकाम प्रोजेक्ट—1, क्वार्टर नं0 5,6,7 बी.एस.एन.एल. कालोनी सेक्टर—2 विकास नगर, लखनऊ।

(ओ0पी0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रायबरेली

Attested
[illegible] 4/9/17

मण्डलीय अभियन्ता
Divisional Engineer
दूरसंचार परियोजना
Telecom. Projects
भारत संचार निगम लिमिटेड
BSNL, Meerut

34